बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि-पत्र

संoसंo-7/बजट-46- 10/2025 - 331(7A) /पटना, दिनांक-18/09/2026

स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-144(7ए), दिनांक-27.04.2026 के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्य योजना मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/-(रुपये चार लाख) मात्र की व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त वर्णित स्वीकृत्यादेश सं0-144(7ए), दिनांक-27.04.2026 के कंडिका-04 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है:-

कंडिका 04:-

राज्य योजना मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 मे अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(i) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2211-परिवार कल्याण, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0104- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मे मानव संसाधन, विपत्र कोड-20.2211.00.001.0104ए विषय शीर्ष-37-01-अनुग्रह अनुदान मद मे बजट उपबंध मे उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/-(रुपये चार लाख) मात्र विकलनीय होगा।

3 स्वीकृत्यादेश स0-144(7ए), दिनांक-27 04 2026 की शेष सभी कडिकाएँ यथावत् रहेगी।

अनुलग्नक- स्वीकृत्यादेश स0-144(7ए), दिनाक-27 04 2026 की छायाप्रति ।

18.9.26.
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/ बजट-46- 10/2025 331(7A) /स्वा0, पटना, दिनांक-18/09/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन, शेखपुरा, पटना—800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

331 (न०अ)
18/09/2026

18.9.26

सरकार के अपर सचिव ।

संचिका सं0–07/बजट–46–10/2025.........144 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–27/04/2026

विषयः– **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र की व्यय निमित्त स्वीकृति।**

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या 157(12), दिनांक–17.02.2020 तथा 1701-A(12), दिनांक–21.11.2023 के क्रम में कहना है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम प्रति आश्रित को 4.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्यांश मद अन्तर्गत विषय शीर्ष– 37–01 अनुग्रह अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि रु0 10,00,00,000/ (रुपये दस करोड़) मात्र में से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र की राशि संलग्न सूची (अनुलग्नक- 1) के अनुरूप किया जाना है।

2 ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) राज्य में एड्स के मरीजों से संबंधित जागरूकता, परामर्श, जांच बचाव, सहयोग एवं उपचार के साथ ही समाज के मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी प्रयास सहित चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदों पर अनुबंध पर कर्मियों की नियुक्ति किया जाता है, जिनका प्रतिपूर्ति मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा आवंटित राशि से किया जाता है। अतएव लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली अनुग्रह अनुदान का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–157(12), दिनांक–17.02.2020 के कंडिका–3 के आलोक में विषय शीर्ष–37 01 (अनुग्रह अनुदान) से किया जायेगा।

3 स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 157(12), दिनांक–17.02.2020 के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत आने वाले बिहार एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख रु० मात्र के अनुग्रह अनुदान के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यरत कर्मी के विवाहित होने की स्थिति में यह भुगतान उनके पत्नी/पति को एवं यदि विवाहित नहीं हो तो उनके माता/पिता को किया जायेगा। इन आश्रितों की अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यरत कर्मी के निकटतम आश्रित को भी भुगतान किया जा सकेगा। तद्क्रम में अनुलग्नक 1 के अनुरूप राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026 27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/ (रुपये चार लाख) मात्र के राशि की व्यय निमित्त स्वीकृति दी जाती है।

4– राज्यांश मद् की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 मे अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा–

(i) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–उप शीर्ष–0309–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–37 01–अनुग्रह अनुदान मद मे बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र विकलनीय होगा।

5– इस राशि की निकासी अवर सचिव सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि को निकासी कर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत कर्मी के निकटतम आश्रित विवरणी (अनुलग्नक–1 के अनुरूप) के आलोक में उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायेगे।

6– यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0 -2561/वि0(2) दिनाक–17 04 1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04 2007, 8593/वि0(2) दिनाक–27.11 2007, 96/वि0(2) दिनाक–03 01 2008, 3923/वि0(2) दिनाक–09 04 2010 एवं अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 07/बजट 46 10/2025 के पृष्ठ 55/टि0 पर प्राप्त है।

8 प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

10– राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 07/बजट 46 10/2025 –/144(स्वा0) पटना दिनांक 27/04/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन, शेखपुरा, पटना 800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नकः—1

सेवा अवधि के दौरान कार्यरत कर्मियों के मृत्युपरान्त अनुग्रह—अनुदान हेतु उनके निकटतम आश्रित का विवरणी:—

क्रम सं०	पदधारक का नाम	पदधारक का पद के नाम	मृत्यु की तिथि	निकटतम आश्रित का नाम एवं मृत व्यक्ति से संबंध	अनुदान पाने वाले व्यक्ति के बैंक खाता का विवरणी			
					बैंक का नाम	बैंक खाता सं०	आई०एफ०एस०सी० कोड	अनुदान की राशि (रु०)
1	स्व० शम्स नौरज खां	पूर्व वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	18.12.2024	श्रीमति शाहजहाँ (पत्नी)	HDFC बैंक	50100232267393	HDFC0001648	4,00,000/-
	कुल—							4,00,000/-

(रुपये चार लाख) मात्र

144(7-A)
27/05/2026

अरविन्द
27/5/2026

(अरविन्द कुमार द्विवेदी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।